

परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत कर्नाटक खोला से रैलापाली एवं सरकार की आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक सड़क निर्माण कार्य।
लम्बाई 3.00 कि०मी०

(5)

संलग्नक सं०-1.5

प्रारूप-11

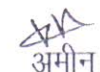
प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के माँग का पूर्ण औचित्य

इस मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं०-5988/III(2)/15-11—(मु०मं०घो०)/2015, दिनांक 18 अगस्त, 2015 के द्वारा 3.00 कि०मी० की लम्बाई हेतु 297.84 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। यह मोटर मार्ग पूर्व निर्मित एन०एच० 87 ई० से प्रारम्भ होता है एवं बेस चिकित्सालय से विकास भवन तक मोटर मार्ग के कि०मी० 5.00 में समाप्त होता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग की लम्बाई 3.00 कि०मी० आती है। यह प्रस्तावित मोटर मार्ग सिविल बेनाप व नाप भूमि से होकर गुजरता है। उक्त के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी सर्वेक्षण किया गया, जिस स्थल से वन भूमि व वृक्षों का पातन कम से कम हो वह स्थल उपरोक्त मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित किया गया है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से ग्राम नगर पालिका(हदूद बाहक), रैलापाली आदि ग्रामों के ग्रामवासी लाभान्वित होंगे। प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु 0.925 है० वन भूमि प्रस्तावित की गयी है जो न्यूनतम है। इस अतिरिक्त उक्त मोटर मार्ग हेतु कोई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय लोग काफी लाभान्वित होंगे। अतः जनता की सुविधा, भूमि की उपलब्धता व तकनीकी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित मार्ग उपयुक्त है।


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।
(दीपक कुमार पन्त)
उप वन क्षेत्र अधिकारी,
अल्मोड़ा।
अनुभाग अल्मोड़ा
अल्मोड़ा


अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


अमीन
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


उप प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।